अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 1/2016-अवसंरचना उपकर

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 2016 के खंड 159 के उपखंड (3), जिस खंड में, करों का अनंतिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण विधि का बल है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन वाले उत्पाद-शुल्क्य मालों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष के अन्तर्गत आते हैं, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त वित्त विधेयक के खंड 159 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उदग्रहणीय उतने अवसंरचना उपकर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है और जो पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट इस अधिसूचना से संलग्न सुसंगत शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन हैं :

सारणी

क्रम सं0	शीर्ष	उत्पाद-शुल्क्य मालों का वर्णन	दर	शर्त सं0
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	8703	ऐसे मोटर यानों का विनिर्माण करने वाले कारखाने से किसी रोगी वाहन के रूप में निकासी किए गए मोटर यान, जिनमें किसी रोगी वाहन के लिए आवश्यक सभी फिटमेंट, फर्नीचर और सहायिकियां सम्यक् रूप से फिट की गई हैं	शून्य	--
2.	8703	ऐसे मोटर यान (सात व्यक्तियों तक के परिवहन के लिए तिपहिया मोटर यानों से भिन्न), जो निकासी के पश्चात् केवल रोगी वाहन के रूप में उपयोग के लिए	शून्य	1

		रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं ।		
3.	8703	ऐसे मोटर यान (तिपहिया मोटर यानों से भिन्न), जो निकासी के पश्चात् केवल टैक्सी के रूप में उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं ।	शून्य	1
4.	8703	वैद्युत प्रचालित यान, जिनके अन्तर्गत तिपहिया वैद्युत मोटर यान भी हैं । स्पष्टीकरण–इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, " वैद्युत प्रचालित यानों" से ऐसे यान अभिप्रेत हैं, जो केवल किसी बाह्य स्रोत से उदभूत होने वाली या ऐसे सड़क यानों में फिट की गई एक या अधिक वैद्युत बैट्रियों से उदभूत होने वाली वैद्युत ऊर्जा से चालित होते हैं और इनके अन्तर्गत वैद्युत मोटर से सहायता प्राप्त ऐसी साइकिल रिक्शा भी हैं, जो पुनःचार्ज की जा सकने वाली सौर बैट्रियों द्वारा चालित होते हैं, जो "सोलेकशा" के नाम से भी ज्ञात हैं ।	शून्य	-
5.	8703	हाइब्रिड मोटर यान स्पष्टीकरण–इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए 'हाइब्रिड मोटर यान' से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो बैटरी पावरयुक्त विद्युत मोटर और आंतरिक दहन ईंजन के संयोजन का उपयोग गाड़ी चलाने के यान की शक्ति के रूप में करता है किन्तु केवल स्थिर दशा में बैटरी पावरयुक्त विद्युत मोटर उपयोग करने में आरंभ और रोक तकनीक के साथ ऐसा माइक्रो हाइब्रिड मोटर यान	शुन्य	-

		सम्मिलित नहीं हैं ।		
6	8703	तिपहिया यान	शून्य	-
7.	8703	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कार	शून्य	2
8.	8703	फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित हाइड्रोजन यान स्पष्टीकरण–इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, 'हाइड्रोजन यान' से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो गाड़ी चलाने के लिए विद्युत मोटर को ऊर्जा यान में फ्यूल में आक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रक्रिया कर तकनीकी ऊर्जा को हाइड्रोजन के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ।	शून्य	-
9.	8703	4000 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई के मोटर यान, अर्थात् पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस (द्र.पे.गै.) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सं.प्रा.गै.) चालित यान, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से कम है स्पष्टीकरण–इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए मोटर यान के विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे ।	1%	--
10.	8703	4000 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई के मोटर यान, अर्थात् डीजल चालित यान, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से कम है स्पष्टीकरण–इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के	2.5%	--

		लिए मोटर यान के विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे ।		

उपाबंध

शर्त सं0	शर्त
1.	(क) विनिर्माता, यान की निकासी के समय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की किसी अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट के साथ पठित वित्त विधेयक, 2016 की ग्यारहवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर अवसंरचना उपकर का संदाय करेगा ; (ख) विनिर्माता इस छूट के अधीन विनिर्दिष्ट उपकर से अधिक संदत्त की गई अवसंरचना उपकर की रकम के बराबर रकम का प्रत्यय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी अनुपूरक अनुदेशों के उत्पाद-शुल्क निर्देशिका के भाग 5 के निबंधनानुसार रखे गए चालू खाते में प्राप्त करेगा और उसके पश्चात् उक्त मोटर यान पर शुल्क के संदाय की तारीख से छह मास के अवसान से पूर्व अवसंरचना उपकर की उक्त रकम के प्रतिदाय के लिए अपना दावा अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ फाइल करेगा, अर्थात् :-- (1) इस बात की संसूचना कि दावा की गई अवसंरचना उपकर के प्रतिदाय की रकम जो विनिर्माता द्वारा उसके चालू खाते में जमा की गई है और साथ ही इस प्रकार लिए गए प्रत्यय की रकम का भी कथन करेगा ; (2) इस आशय के लिए संबद्ध राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणपत्र के उक्त मोटर यान, यथास्थिति, रोगी वाहन या टैक्सी के रूप में एकमात्र उपयोग के लिए उक्त मोटर यान के विनिर्माता के कारखाने से निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो तीन मास से अधिक की न होगी, जिसे यथास्थिति, उक्त उपायुक्त,

	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अनुज्ञात करे, रजिस्ट्रीकृत करा लिया गया है ; (3) ऊपर पैरा (क) में जैसा वर्णित है, उत्पाद-शुल्क के संदाय के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज की प्रति ; (4) जहां विनिर्माता ने क्रेता से इस छूट के अधीन संदेय शुल्क से अधिक रकम उत्पाद-शुल्क के रूप में वसूल कर ली है तो इस आशय का प्रमाणपत्र की उक्त रकम सम्यक् रूप से क्रेता को वापस कर दी गई है ; या (5) यहां विनिर्माता ने क्रेता से इस छूट के अधीन संदेय शुल्क से अधिक रकम उत्पाद-शुल्क के रूप में वसूल नहीं की है वहां विनिर्माता द्वारा इस आशय की घोषणा ; (ग) प्रतिदाय के लिए उक्त दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, यथास्थिति, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, ऐसे सत्यापन के पश्चात्, जो आवश्यक हो, विनिर्माता को प्रतिदेय रकम का अवधारण करेगा और उसकी सूचना विनिर्माता को देगा । यदि विनिर्माता द्वारा किया गया प्रत्यय इस प्रकार अवधारित रकम से अधिक है तो विनिर्माता, उक्त सूचना की तामील से पाँच दिन के भीतर, उसके द्वारा रखे गए उक्त चालू खाते से उक्त अधिक रकम के प्रत्यय को वापस करेगा । यदि लिया गया प्रत्यय अवधारित प्रतिदाय की रकम से कम है तो विनिर्माता अतिशेष रकम का प्रत्यय लेने का पात्र होगा ; और (घ) अनियमित रूप से लिए गए प्रत्यय या इस प्रकार अवधारित प्रत्यय की रकम से अधिक दिए गए प्रत्यय जो विनिर्माता द्वारा ऊपर पैरा (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया गया है, ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह भूल से किए गए प्रतिदाय उत्पाद-शुल्क माल की निकासी पर उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए किया जाता है तो उक्त माल ऐसे अनियमित या अधिक प्रत्यय के उपयोग की सीमा तक शुल्क के संदाय के बिना निकासी किया गया माना जाएगा ;
2.	यदि,-- (i) कोई ऐसा अधिकारी, जो भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में उप सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, यह प्रमाणित करता है कि

	उक्त माल शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य है ; या (ii) कार का क्रेता यह शपथपत्र देता है कि वह उसके क्रय के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि तक कार का व्ययन नहीं करेगा ।

(फा.सं.334/8/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार